

संस्कृति विभाग
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
शुद्धि पत्र
ई दिल्ली, 28 जून, 1996
पुरातत्व

DEPARTMENT OF CULTURE
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA
CORRIGENDUM
New Delhi, the 28th June, 1996
ARCHAEOLOGY

सा. का. नि. 291.—दिनांक 22 जुलाई, 1995 को भारत के राजपत्र के पृष्ठ 1667—1675 पर प्रकाशित भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (संस्कृति विभाग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की दिनांक 10 जुलाई, 1995 की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 345 की दूसरी अनुसूची के दूसरे कालम में दिए गए "क्रम सं. 39 मध्य प्रदेश, "निमाय" (पूर्व), बुरहानपुर, आदिल शाहफा की का मकबरा, संपूर्ण शब्दों को, "क्रम सं. 39, मध्य प्रदेश, निमाड (पूर्व), बुरहानपुर फोर्ट (शाही किला) में स्थित महल पढ़ा जाए"।

G.S.R. 291.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Culture Archaeological Survey of India No. G.S.R. 345 dated the 10th July, 1995, published in the Gazette of India dated 22nd July, 1995 published at pages 1667—1675, in the Second Schedules, in the second column for "S. No. 39 in Madhya Pradesh Nimar (east), Burohanpur, Tomb of Adil Shah Faruki, Whole" read "Sl. No. 39, in Madhya Pradesh, Nimar (east), Burhanpur, Palace situated in the Fort (Shahi Qila)".

[फा० सं. 9/6/94-एम]

[F. No. 9/6/94-M]

ए. सी. ग्रोवर, निदेशक (प्रशासन)

A. C. GROVER, Director (Admn.)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 26 जून, 1996

सा. का. नि. 292.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती मुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में सहायक रजिस्ट्रार (शिक्षा) के पद (जिसे इसके पश्चात उक्त पद कहा गया है) पर भर्ती पद्धति का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती मुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली सहायक रजिस्ट्रार (शिक्षा) भर्ती नियम, 1996 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वही होगा जो इन नियमों के उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ—2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उसमें संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता :— वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधारा है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा आवश्यक है या समीचीन है, वहां वह उससे लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा |
|-----------|----------------|----------|---------|---------------------------|--|--|
|-----------|----------------|----------|---------|---------------------------|--|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|-----------|-----------|---|
| सहायक रजिस्ट्रार (शिक्षा) | 1 (एक)* 1996 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित/अनु- सूचित | 2000-60- 2300-75- 3200-100- 3500 रुपये | लागू नहीं | लागू नहीं | अधिकतम 30 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। |
|------------------------------|---|---|---|-----------|-----------|---|

टिप्पण :- आयु-सीमा अव-
धारित करने के लिए
निर्णायक तारीख भारत में
रहने वाले अभ्यर्थियों से
उनसे भिन्न जो असम,
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
मिजोरम मणिपुर, नागालैण्ड
त्रिपुरा, सिक्किम जम्मू व
कश्मीर, राज्य का लद्दाख
उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश
का लाहौल और स्पीति
जिला और चम्बा जिले के
पांगी सब उत्तरांचल, अंडमान
और निकोबार द्वीप समूह
अथवा लक्षद्वीप में रहते
हैं। (आवेदन प्राप्त करने
के लिए नियत की गई
अंतिम तारीख होगी)

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों शैक्षिक अर्हताओं के लिए विहित की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो। |
|--|---|----------------------------------|

| | | |
|---|---|----|
| 8 | 9 | 10 |
|---|---|----|

| | | |
|--|-----------|--|
| अनिवार्य : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष (2) किसी विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थान में परीक्षाएं और दाखिले आयोजित करने का 3 वर्ष का अनुभव। | लागू नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष |
|--|-----------|--|

- टिप्पण : 1 अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार गिथिल की जा सकती हैं।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव से संबंधित अर्हता/अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर गिथिल की जा सकती हैं/हैं यदि चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि इन समुदायों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के अपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष।

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।

11

12

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक अनुबंध शामिल है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
टिप्पणी : ऐसे अधिकारी जो इन नियमों के अधिमूचित होने की तारीख को नियमित आधार पर सहायक रजिस्ट्रार (शिक्षा) के पद पर कार्यरत हैं प्रारंभिक गठन में इस पद पर नियुक्त हुए माने जाएंगे।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक अनुबंध शामिल है) केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धसरकारी, स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठनों के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी :
(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्यरत हैं, अथवा

(ii) जिन्होंने 1640 - 2900/- रुपये अथवा समकक्ष वेतनमान वाले पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है, अथवा

(iii) जिन्होंने 1400-2300/2600 रुपये अथवा समकक्ष वेतनमान वाले पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है, और

(ख) जो कालम 8 के अन्तर्गत सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।

(प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अवधि जिसमें केन्द्रीय सरकार के इसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित किसी अन्य सवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अवधि शामिल है, सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक अनुबंध शामिल है) के लिए आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को अधिकतम 56 वर्ष होगी)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से लिया जाएगा।

13

14

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए)

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

1. अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक —अध्यक्ष
2. निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता) —सदस्य

3. प्रधानाचार्य एवं चिकित्सा अधीक्षक —सदस्य
4. उप निदेशक प्रशासन (अस्पताल) —सदस्य

टिप्पणी : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की पुष्टि के संबंध में विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाही अनुमोदनार्थ आयोग को भेजी जाएगी। तथापि यदि आयोग द्वारा इन्हें अनुमोदित नहीं किया जाता तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति समिति को बैठक पुनः आयोजित की जाएगी।

[सूचना ए-12018/3/93-आर. आर./एम. ई. (यू. जी.)]

आर. रामामूर्ति, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health)

New Delhi, the 26th June, 1996

G.S.R. 292.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Registrar (Academic) in the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (hereinafter referred to as the said post), namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi [Assistant Registrar (Academic)] Recruitment Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Initial Constitution.—(1) The Officer holding the post of Assistant Registrar (Academic) on regular basis in the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed at the initial Constitution stage to the said post.

(2) The regular continuous service of officer mentioned in Sub-rule (1) prior to his appointment to the said post at the Initial Constitution shall count for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | Number of post | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post |
|--------------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Assistant Registrar (Academic) | 1 (One)* 1996 *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service Group 'B' Gazetted/ Non-Ministerial. | Rs. 2000-60-2300-75-3200-100-3500. | Not applicable |

| Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications for direct recruits | |
|---|---|---|--|
| 6 | 7 | 8 | |
| Not applicable | <p>Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> | <p>Essential :</p> <p>(1) Degree from a recognised University or equivalent.</p> <p>(2) Three years' experience of conducting examinations and admissions in a University/Educational Institutions.</p> <p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>Desirable : Master's Degree from a recognised University or equivalent.</p> | |
| Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
| Not applicable | 2 years for direct recruits | <p>Transfer on deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.</p> <p>Note : Officers holding the post of Assistant Registrar (Academic) on regular basis on the date of notification of these rules shall be deemed to have been appointed to the post at the initial Constitution.</p> | <p>Transfer on deputation (including short-term contract) :</p> <p>Officer under the Central (State Governments/Universities/Recognised Research Institutes, Public Sector Undertakings/ Semi Government Autonomous or Statutory Organisations :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) with 3 years regular service in posts in the scale of Rs. 1640-2900 or equivalent; or</p> |

12

- (iii) with 8 years regular service in posts in the scale of Rs. 1400-2300-2600 or equivalent; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.
- (period of deputation/contract including period of deputation/contract in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.

The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt applications.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation :

1. Additional Director General/Deputy Director General—Chairman.
2. Director (Administration and Vigilance —Member.
3. The Principal and Medical Superintendent—Member.
4. Deputy Director Administration (Hospital —Member.

Consultation with Union Public service Commission necessary on each occasion.

Note : The proceedings of the Departmental Promotion Commission relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

[No. A. 12018/3/93-RR/ME(UG)
R. RAMAMURTHY, Desk Officer

कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 जून, 1996

मा. का. नि. 293.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समाज कल्याण विभाग (पुस्तकालयाध्यक्ष)भर्ती नियम, 1976 की जन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करने हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया